

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

PROPOSAL NO. :FP/UP/WATER/119894/2021

विषय:- जनपद सोनभद्र में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, सोनभद्र द्वारा बुन्देलखण्ड/विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों हेतु पाईप पेयजल आपूर्ति परियोजनान्तर्गत जनपद-सोनभद्र की पटवध ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु ग्राम-कनछ के आराजी सं० 4 ग वन भूमि में वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु $400 \times 150 = 60000$ वर्ग मीटर (6.00 हे०) व पाईप लाइन हेतु 1200×2.5 मी० = 3000 वर्गमीटर (0.3 हे०) तथा जैकवेल (क्वार्टर) $40 \times 25 = 1000$ वर्ग मीटर (0.100 हे०) योग (6.4 हे०) एवं ग्राम कनछ के आराजी संख्या-1 मि० सोन नदी वन भूमि में $50 \times 6 = 300$ वर्गमीटर (0.0300 हे०) इन्टेकवेल चैम्बर तक जाने हेतु पाइप लाइन एवं नदी के अन्दर इन्टेकवेल चैम्बर $5 \times 5 = 25$ वर्गमीटर (0.0025 हे०) योग (0.0325 हे०) कुल योग-6.4325 हे० भूमि वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग संबंधी प्रस्ताव।

14. स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं)
यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

उत्तरी वनारणसी के निरीक्षण से सहमत है।

15. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

सहमत है।

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

लंछुली लाहटे आवश्यक कार्यवाही हेतु उचित है।

मुख्य वन संरक्षक
वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र
उ०प्र० कानपुर